



## न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल म.प्र

~~निवारणी २२८४-पर-१५~~ पुनरिक्षण प्रकरण क्र. :-

/ 2015

सोदराचाई नेवा अम्बाशाम जाति भील

पता ग्राम जुहावदा, धार (म.प्र.) एन्ड एस. गिरी पुनरिक्षणकर्ता

प्राप्ति/अभिभावना क्रमांक: ८७२०१५

विरुद्ध

ज्ञापन

1347/08-07-2015

- १) ३.प.शासन द्वारा अनुबिभीय  
अधिकारी, धार
- २) कृष्णराव पिता आनंदराव
- ३) नारायणराव पिता नीलकंठराव तर्फे  
वारिसगण शोभादेव पति  
नारायणराव फौत वारिस
- अ. किरणदेव पिता नारायणराव
- ब. नितिनदेव पिता नारायणराव
- स. बालीयादेव पिता नारायणराव



सभी निवासी : रघुनाथपुरा, धार

प्रत्यक्षीण


### पुनरिक्षण अन्तर्गत धारा ५० म.प्र. भ. राजस्व संहिता १९५९

महोदय,

पुनरिक्षणकर्ता / आवेदक का सादर निवेदन है कि:-

यह कि, पुनरिक्षणकर्ता द्वारा सदर पुनरिक्षण याचिका श्रीमान अपर आयुक्त सभाग्रं इन्डौर ( श्री एस.एस.सिंह सलूजा ) द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्र. : २६७/१४.१५/उरील में यारित निर्णय दिनांक १२.०५.२०१५ से व्यक्ति ग्रस्तुत की है, जो निम्नानुसार है :-

*okin*



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2284—पीबीआर/2015 [सैंडराकड़ी/शैलज] जिला—धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.04.2016	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-5-2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा ग्राम संगेसरा जिला धार स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 84/1 रक्बा 1.264 हेक्टेयर पर कब्जा अंकित करने हेतु संहिता की धारा 115, 116 व 121 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील भी निरस्त हुई है। इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत अभिलेख में हुई गलत प्रविष्टि को शुद्ध किया जा सकता है, कब्जा लिखने संबंधी नवीन प्रविष्टि का सृजन नहीं किया जा सकता है। उक्त निष्कर्ष अपर आयुक्त द्वारा इस न्यायालय के द्वारा पारित न्यायदृष्टांत के प्रकाश में निकाला गया है, जो पूर्णतः विधिसंगत है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है।</p> <p><i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i></p> <p>अध्यक्ष</p>	